न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 13/2022
GCMS CASE NO-2022/13

1. रामप्यारी पत्नी स्व. श्री शेराराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 22 सूरतगढ
2. पृथ्वीराज पुत्र स्व श्री शेराराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 09 सूरतगढ
3. दयालचंद पुत्र स्व. श्री शेराराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 05 सूरतगढ
4. गिरधारी पुत्र स्व श्री शेराराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 05 सूरतगढ
5. अशोक पुत्र स्व. श्री शेराराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 22 सूरतगढ
6. मोहनलाल पुत्र स्व. श्री शेराराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 22 सूरतगढ

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. इन्द्रा पुत्री स्व. श्री शेराराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 22 सूरतगढ
3. मोहिनी देवी पुत्री स्व. श्री शेराराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 22 सूरतगढ
4. जेठाराम(मृतक) पुत्र स्व श्री शेराराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 22 सूरतगढ

4/1 इमाती देवी पत्नी स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 5 सूरतगढ
4/2 सुभाष पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 5 सूरतगढ
4/3 विनोद पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 5 सूरतगढ

5. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता, अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट न0 1
3. श्री अमित कुमार सैनी रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4
4. श्री शीशपाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट न0 5

:: निर्णय :: दिनांकः– 27.03.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 02.06.2006 खिलाफ रिकार्ड मिसल व एक तरफा तौर से मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जो शुरू से ही शून्य व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उसके विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट के पति/पिता शेराराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी सूरतगढ को रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा न0 267 में 6.325 है0 बारानी रकबा टीसी पर आवंटन सम्वत 20[illegible] गया है। जो पहले से एक साला टीसी पर चला आ रहा था व रकबा नवीनीकरण [illegible] कर [illegible] कब्जा काश्त में चला आ रहा है। अपीलांट के पति/पिता का स्वर्गवास दिनांक 20[illegible]3 को हो जाने से अपीलांट अपील कर रहे है। अपीलांट के [illegible] के आरजीकाश्त पर आवंटित रकबा को अदालत [illegible] बिना कोई जाचं किये हुए झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर करीब 45 वर्ष पुराने आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर दिनांक 02.06.2006 को खरिज कर दिया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा की जा रही है जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री. गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

निम्न कारणो से काबिले खारिज है। यह कि टीसी पट्टा खारिज करने का तहसीलदार को अधिकार क्षेत्र नही होकर कालोनीलीज डीड कण्डीशन टीसी लीज 1955 शर्त संख्या 19 के तहत जिला कलक्टर को शक्ति प्राप्त थी इसलिए जैर अपील आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया है। जैरअपील रकबा सूरतगढ नगरपालिका परिधि क्षेत्र से 2 किमी की परिधि में नही आता है। यह रकबा 8 किमी से ज्यादा दूरी पर है पत्रावली मे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सावित हो कि रकबा सूरतगढ नगरपालिका परिधि के किमी परिधि में आता है।जैरअपील रकबा अपीलांटस के पति/पिता को टीसी आवंटन था उनके स्वर्गवास हो जाने के कारण अपीलांटस प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण विरासतन हक रखते है व अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रखते है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 01 की ओर से पैरोकार राज व रेस्पोडेंट 02 से 04 की ओर से श्री अमित कुमार सैनी व रेस्पोडेंट संख्या 05 की और से श्री शीशपाल शर्मा अधिवक्ता हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपने जैर अपील रकबा में काम कर रहे थे तभी नगरपालिका का कर्मचारी आया व उसने बताया कि वह इस खेत के चारो तरफ लगे पत्थर की पट्टियों व तारबंदी का हटा ले चुंकि तहसीलदार ने यह भूमि नगरपालिका को दे दी है इस पर अपीलांट उसी दिन तहसील मे गया व अपनी मिसल की नकल दिनांक 18.01.2022 को ली व जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 5 ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्डन करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 16 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैरअपील रकबा अपीलांट के पति/पिता के नाम से आवंटन हुआ था आवंटी के [illegible] के उपरांत अपीलांट जैरअपील रकबा पर काबिज काश्त है तथा [illegible] हुआ है। अपीलांट को जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व [illegible] नहीं गया है [illegible] अपील आदेश अपीलांट के पीठ पीछे एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया है अपीलांट जैरअपील प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है तथा रकबा पर अपीलांट का हितनिहित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान करे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

8. रेस्पोडेंट संख्या 1 पैरोकार राज व रेस्पोडेंट संख्या 5 नगरपालिका सूरतगढ ने कथन किया गया कि अपील मे प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलांटगण के पति/पिता दिनांक 20.01.2003 को फौत हो चुका है व टीसी आवंटन के नियमो के अनुसार टीसी आवंटी फौत होते ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है।

9. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया जैरअपील रकबा अपीलांट के पति/पिता के नाम से आवंटन हुआ था अपीलांट जैरअपील प्रकरण मे हितबद्ध पक्षकार है तथा रकबा पर अपीलांट का हितनिहित है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

10. गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट्रा ने दौराने बहस अपील मीमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 02.06.2006 को पत्रावली संख्या 29/2006 के द्वारा अपीलांटगण के पति/पिता स्व. शेराराम पुत्र गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी सूरतगढ के रोही कस्बा सूरतगढ मे खसरा न0 267 मे 6.325 है0 भूमि का आराजी काश्तकार आवंटन को निरस्त किया गया है। अपीलांट के पति/पिता स्व. शेराराम को संवत 2031 मे रोही सूरतगढ के ख.न. 267 मे 6.325 है0 रकबा तहसीलदार द्वारा आराजी काश्त पर टीसी आवंटित की गई थी जिसका पटवारी हल्का द्वारा कब्जा संभलवा दिया गया था। मुख्य अलोटी शेराराम का स्वर्गवास दिनांक 20.01.2003 को हो गया था एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश शुरू से ही शून्य व अवैध है। अलोटी को आवंटित रकबे कारागय समय पर नवीनीकरण होता रहा है टीसी पर आवंटित रकबा का लगातार तब तक नवीनीकरण होता रहा जब तक जिला कलक्टर द्वारा नवीनीकरण बंद करने के आदेश आ गये थे। नवीनीकरण के समय हर बार तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से भूमि पर स्वयं द्वारा कब्जा काश्त की रकम/मालकाना आदि लगातार जमा करवाये जाने की रिपोर्ट लेकर ही नवीनीकरण किया जाता था। दिनांक 02.06.2006 को अदालत मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा 49 वर्षो से टीसी आवंटन होकर कब्जा काश्त मे चले आ रहे रकबा को गैर कानूनी रूप से एक मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जिसको निरस्त करवाने बाबत् यह अपील श्रीमान जी की अदालत मे प्रस्तुत की गई है अपीलांट की टीसी आवंटितशुदा भूमि को पैराफेरी मानकर खारिज कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को टीसी खारिज करने का कोई अधिकार नहीं था। कालोनी लीज कंडीशन टीसी लीज 1955 की शर्त संख्या 19 के तहत टीसी खारिज करने की शक्ति जिला कलक्टर को है। मृतक शेराराम का स्वर्गवास 20.01.2003 को हो गया था इसलिए सीपीसी के प्रावधानो व प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत आदेश पारित किया गया है एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश शुरू से ही शून्य व अवैध है। यह कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया एक व्यर्थ व शून्य आदेश है। ऐसी आदेश को चुनौती देने हेतु कोई समय सीमा नहीं है। जैरअपील आदेश के रकबा को वेस्टलेण्ड नियमों के तहत आवंटन होना मानकर खारिज किया गया है जो कतई गलत व गैर कानूनी है।यह भूमि शुद्ध कृषि योग्य भूमि है। वेस्टलैण्ड की परिभाषा में नही आती है व वैस्टलेण्ड के आवंटन को भी निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र अदालत मातहत को नहीं था इसलिए भी अपील स्वीकार किये जाने व जैरअपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपीलीय आदेश में ऐसा कोई लिखित साक्ष्य या दस्तावेज नहीं लगाया गया है जिससे साबित होता हो कि रकबा सूरतगढ नगरपालिका के दो किलोमीटर की परिधि में आता है महज कयासों के आधार पर जैरअपीलीय आदेश पारित कियागया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जैरअपीलीय रकबा को अपीलांटगण ने पिछले 48 वर्षो से कडी मेहनत व भारी खर्चा लगाकर झाड झंखाड निकालकर टिब्बो व उबड खाबड स्थान को समतल करके काश्त के लायक किया है [illegible] और अपील रकबा से ही अपना जीवन यापन करते है। उपनिवेशन विभाग द्वारा [illegible] क एफ/4/24/उप/99 जयपुर दिनांक 15.09.2001 एवं उस[illegible] [illegible] गर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 41/5/8/राज[illegible] 6513 दिनांक [illegible].10.2001 मे भी यही आदेशित किया गया है। जैरअपील आदेश दिनांक 02.06.2006 को पारित किया गया था उससे पूर्व अलोटी का वर्ष 2003 में ही स्वर्गवास हो गया था इसलि[illegible] अपीलांटगण हितबद्ध व्यक्ति है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)
859

Scanned with OKEN Scanner

जैरअपील आदेश का अपीलांटगण को भारी नुकसान हुआ है। यह भूमि अपीलांटगण से छीन ली गई तो उसका परिवार व पशुधन की भूखे मरने की नौबत आ जाएगी।

वकील अपीलांट द्वारा निम्न कानूनी नजीरे पेश की गई है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय शुरू से ही शून्य है। आरआरटी 2008(2) पेज 1216 देवीलाल चतुर्वेदी बनाम फोरेस्ट डिपार्टमेंट इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायाल का हवाला देते हुए आदेश पारित किया गया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय शुरू से ही शून्य व अकृत है। इसलिए जैर अपील आदेश इस बिन्दु पर ही निरस्त किया जावे।

आरआरडी पेज 117,173 में माना है कि क्षेत्राधिकार वहीन निर्णय शून्य है। ऐसे निर्णयों पर मियाद लागू नहीं होती उन्हे कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

आरआरटी 2009(1) पेज 46 में तय किया गया है कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया तो देरी को माफ कर निर्णय गुण दोष पर किया जावे

आरआरडी 1995 पेज 576 में माना है कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध निर्णय हो तो उसकी कोई मियाद नहीं होती है।

आरबीजे 2008 पेज 133 में माना है कि मृतक वारिसों को नहीं सुना तो मियाद कण्डोन की गई फैसला निरस्त किया गया।

आरआरटी 2009 पेज 757 अगर अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो तो निर्णय निरस्त किया गया व समय सीमा लागू नहीं होती।

आरआरडी 2005 पेज 627 पिता के मरने के बाद अपीलांट को पक्षकार बनाकर सुना नही गया मियाद लागू नहीं होगी।

आरआरटी 200 पेज 1059 मामले के गुण अवगुण पर विचार करके ही मियाद बिन्दु पर विचार करें।

11. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 राजपैरोकार ने कथन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने मातहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 02.02.2022 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। इससे यह सावित है कि अपीलांट जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतय ज्ञान था। मातहत न्यायालय के आदेश से पूर्व अपीलांट को सुना गया था ततपश्चात आदेश हुआ था। अपीलांट ने अपनी अपील में यह कतई दर्ज नहीं किय कि उसने जैर अपील आदेश की जानकरी ना हो, इसलिए अपीलांट को जैर अपील आदेश की पूर्णतया जानकारी थीं। इसलिए अपील पेश करने में जानबूझकर देरी की गई है। टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही आवंटन होता है, एक साल पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 Page No- 431 अनुसार–A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 02.06.2006 विरूद्ध दिनांक 02.02.2022 को 16 वर्ष बाद श्रीमान जी के न्यायालय मे पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है [illegible] टीसी आवंटन की शर्त, टीसी का नवीनीकरण एक साल के लिये होता है। [illegible] टीसी नवीनीकरण के लिए तहसीलदार के पास उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करना [illegible]यक है। अपील में अपीलांट ने विलम्ब माफी हेतु कोई कारण [illegible] में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती [illegible] RRT [illegible](2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है। टीसी आंवटी को कभी भी रकबा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील खारिज योग्य है।टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटित रकबे में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है कानूनी नजीर आरआर जे 1999 के पेज संख्या 214 के अनुसार इस प्रकार का अपीलांट को इस प्रकार के रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने इस अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश करके अनतोष चाहा है जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे एक तरफा आदेश के निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थ अपीलांट को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा पर काश्त नहीं की है अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है।जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में रकबा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(5) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

12. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 05 ने कथन किया कि अनवानी अपीलांट ने दिनांक 02.06.2006 के विरूद्ध दिनांक 02.02.2022 को सोलह साल पश्चात अपील पेश कि है जो मियाद बाहर है। तथाकथित टीसी आवंटी फौत हो चुका है व टीसी का नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। व न ही वारिसों के नाम से टीसी आवंटन हुआ है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 Page No- 431 अनुसार–A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 02.06.2006 विरूद्ध 16 वर्ष बाद श्रीमान जी के न्यायालय मे पेश की है जो पूर्णतय मियाद बाहर है अपीलांट ने टीसी आवंटन की शर्त, टीसी का नवीनीकरण एक साल के लिये होता है। एक साल बाद टीसी नवीनीकरण के लिए तहसीलदार के पास उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। अपील में अपीलांट ने विलम्ब माफी हेतु कोई कारण नहीं बताया है। संतोषजनक कारण के अभाव में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। कानूनी नजीर RRT 2015(2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है टीसी आवंटी को उसके रकबा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इस कारण अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील खारिज योग्य है।टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटित रकबे में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है कानूनी नजीर आरआर जे 1999 के पेज संख्या 214 के अनुसार इस प्रकार का अपीलांट को इस प्रकार के रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने इस अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
861

Scanned with OKEN Scanner

अनतोष चाहा है जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे एक तरफा आदेश के निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थ अपीलांट को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा पर काश्त नहीं की है अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है।जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में रकबा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(5) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया अपीलांट ने अपीलमीमों में अंकित किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि आवंटी शेराराम वछद गणेशाराम की मृत्यु दिनांक 20.01.2003 को हो गई थी। उनकी मृत्यु के सम्बंध में कोई सूचना अपीलांट द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को प्रस्तुत नहीं की गई थी। अपीलांट का मूल कर्तव्य था कि वह आवंटी की मृत्यु की सूचना तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत करते। अतः अपीलांट का यह कथन कतई सिद्ध नहीं होता कि तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 267 की 6.325 है0 को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई मूल आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था। उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता करवाने हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, जबकि टीसी आवंटन के लिए निरंतर कब्जा काश्त होना अतिआवश्यक था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध नही हो रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के प्रकरण संख्या 29/2006 अनवान सरकार बनाम शेराराम में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2006 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर कायम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner